

# खुला पत्र, जिसमें चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान के उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है, जो बड़े पैमाने पर और भेदभावपूर्ण, लक्षित निगरानी को सक्षम बनाता है

हम, अधोहस्ताक्षरी, चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हैं, जो बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण, लक्षित निगरानी को सक्षम बनाता है। इन तकनीकों में लोगों की पहचान करने, उनका पीछा करने, उन्हें पृथक करने और हर जगह जाते हुए उन्हें चिह्नित करते हुए, हमारे मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की क्षमता है - जिसमें गोपनीयता और डेटा संरक्षण के अधिकार, स्वतंत्र सभा और संगठन का अधिकार (जो विरोध प्रदर्शन का अपराधीकरण और द्रुतशीतन प्रभाव पैदा करता है), और समानता और भेदभाव विरोधी अधिकार शामिल हैं।

हमने चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों को मानवाधिकारों के हनन को संभव बनाते देखा है। [चीन](#), [संयुक्त राज्य अमेरिका](#), [रूस](#), [इंग्लैंड](#), [युगांडा](#), [केन्या](#), [स्लोवेनिया](#), [म्यांमार](#), [संयुक्त अरब अमीरात](#), [इजराइल](#) और [भारत](#) में, प्रदर्शनकारियों और नागरिकों की निगरानी ने लोगों के गोपनीयता के अधिकार और स्वतंत्र सभा और संगठन के अधिकार को नुकसान पहुंचाया है। [संयुक्त राज्य अमेरिका](#), [अर्जेंटीना](#) और [ब्राजील](#) में निर्दोष व्यक्तियों की गलत गिरफ्तारी ने लोगों के गोपनीयता के अधिकार और उचित प्रक्रिया और आंदोलन की स्वतंत्रता के उनके अधिकारों को कमजोर कर दिया है। [चीन](#), [थाईलैंड](#) और [इटली](#) में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य पार्श्विक और उत्पीड़ित समुदायों की निगरानी ने लोगों के गोपनीयता के अधिकार और समानता और भेदभाव विरोधी अधिकारों का उल्लंघन किया है।

ये तकनीकें, रूप-रेखानुसार, लोगों के अधिकारों के लिए खतरा हैं और पहले से ही काफी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। कोई भी तकनीकी या कानूनी सुरक्षा उपाय कभी भी उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमारा मानना है कि उनका उपयोग सार्वजनिक या सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में कभी नहीं किया जाना चाहिए, ना तो सरकारों ना ही निजी क्षेत्र द्वारा। दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक है, और परिणाम बहुत गंभीर।

हम प्रतिबंध का आह्वान करते हैं क्योंकि, भले ही रोक इन तकनीकों के विकास और उपयोग पर एक अस्थायी रोक लगा सकती है, और सबूत इकट्ठा करने और लोकतांत्रिक चर्चा आयोजित करने के लिए समय दे सकता है, यह पहले से ही स्पष्ट है कि ये जांच और चर्चा केवल आगे यह साबित करेगी कि सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में इन तकनीकों का उपयोग हमारे मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के साथ मेल नहीं खाते और इसे सीधे और पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

हमारे आह्वान का दायरा

“चेहरे की पहचान” और “दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान” शब्द फोन को खोलने वाली चेहरे की प्रमाणीकरण प्रणाली, या कुछ स्थानों तक किसी व्यक्ति की पहुंच को अधिकृत करने वाली तकनीक, से लेकर किसी की चाल की पहचान करने वाली, या किसी की लिंग पहचान या भावनात्मक स्थिति का पता लगाने वाली, तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पारिभाषित करते हैं।

प्रतिबंध के लिए हमारा आह्वान विशेष रूप से उन तकनीकों के उपयोग पर केंद्रित है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, जो किसी व्यक्ति को व्यक्तियों के एक बड़े समूह से पहचानने या अलग करने के लिए उपयोग होती हैं, जिसे चेहरे या बायोमेट्रिक “पहचान” के रूप में भी जाना जाता है (यानी एक-से-कई मिलान)। हम इन तकनीकों के बारे में चिंतित हैं ताकि इनका उपयोग व्यक्तियों को उनके चेहरे, चाल, आवाज, व्यक्तिगत उपस्थिति, या किसी अन्य बायोमेट्रिक पहचानकर्ता की मदद से पहचानने, पृथक करने या चिह्नित करने के लिए इस प्रकार न हो जिससे बड़े पैमाने पर निगरानी या भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम बनाया जा सके, यानी ऐसी निगरानी जो धार्मिक, जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यकों, राजनीतिक असंतुष्टों और अन्य पार्श्विक समुदायों के मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर असमान रूप से प्रभाव डालता है। हम यह भी मानते हैं कि, कुछ मामलों में, चेहरे और अन्य बायोमेट्रिक “प्रमाणीकरण” प्रणालियाँ (यानी एक-से-एक मिलान) का निर्माण और उपयोग इस तरह से किया जा सकता है जो समान रूप से समस्याग्रस्त निगरानी को सक्षम बनाता है, जैसे कि बड़े, केंद्रीकृत बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाकर जिन्हें अन्य उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है।

हालांकि चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान के कुछ अनुप्रयोग लोगों को उनकी कानूनी पहचान से ना जोड़ते हुए उनकी गोपनीयता की रक्षा करने का दावा करते हैं, फिर भी उनका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को पृथक करने, या उनकी विशेषताओं और व्यवहार के बारे में अनुमान

लगाने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की सुरक्षा के लिए गुमनाम किया गया है या केवल स्थानीय रूप से संसाधित किया गया है (यानी "किनारे पर"); हमारे अधिकारों को फिर भी नुकसान होता है, क्योंकि ये तकनीकें मूल रूप से इस तरह रूप-रेखित की गयी हैं कि वे लोगों की निगरानी के लिए सक्षम हों, जो हमारे अधिकारों के साथ मेल नहीं खाती।

इसके अलावा, चेहरे और बायोमेट्रिक वर्गीकरण के कई अनुप्रयोग, जो लोगों के लिंग, भावनाओं या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं जैसी चीजों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं, वैज्ञानिक आधार पर गंभीर, मौलिक दोषों से ग्रस्त हैं। इसका मतलब यह है कि वे हमारे बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं, वे अक्सर अमान्य होते हैं, कुछ मामलों में यहां तक कि [फ्रेनोलॉजी और फिजियोनोमी के युगीनवादी सिद्धांतों](#) को भी लागू किया जाता है, जिससे भेदभाव कायम रहता है और नुकसान की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है क्योंकि हमारी निगरानी और गलत चरित्रचित्रण, दोनों हो रहे हैं।

प्रतिबंध के लिए हमारा आह्वान इन तकनीकों के उन सभी उपयोग को सम्मिलित करता है जब उनका उपयोग सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों पर और उन स्थानों पर निगरानी के लिए किया जाता है जिनसे लोग बच नहीं सकते। हालांकि इन तकनीकों के कानून प्रवर्तन उपयोग ने ध्यान और आलोचना को आकर्षित किया है, निजी कर्ताओं द्वारा उनका उपयोग भी हमारे अधिकारों के लिए समान खतरा पैदा कर सकता है, खासकर जब निजी कर्ता प्रभावी रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सरकारों और सार्वजनिक एजेंसियों की ओर से निगरानी में संलग्न होते हैं या इस तरह की निगरानी से प्राप्त जानकारी प्राधिकरणों को अन्यथा प्रदान करते हैं।

हमने चेहरे की पहचान के निजी प्रदाताओं के साथ ["संदिग्ध" व्यक्तियों के डेटाबेस](#) को संकलित और समामेलित करने और इन डेटाबेस को कई ग्राहकों के साथ साझा करने की प्रथा में एक चिंताजनक विकास देखा है। यह वास्तव में निजी कंपनियों के बीच साझा किया गया "राष्ट्रव्यापी डेटाबेस" बनाता है जो अप्रशिक्षित कर्मचारियों के विवेक पर संकलित होता है, किसी भी निरीक्षण के अधीन नहीं होता है, और जो ऐसे डेटाबेस का उपयोग करने वाले सभी परिसरों में निगरानी सूची पर दिखाई देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है।

शहर के पार्कों, विद्यालयों, पुस्तकालयों, कार्यस्थलों, परिवहन केंद्रों, खेल स्टेडियमों, आवास विकास और यहां तक कि सोशल मीडिया जैसे ऑनलाइन स्थानों में लोगों की निगरानी करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग हमारे मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए एक खतरा है और इसे रोका जाना चाहिए।

प्रतिबंध क्यों?

चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान प्रौद्योगिकियों में उनके वर्तमान रूप में महत्वपूर्ण तकनीकी खामियां हैं, उदाहरण के लिए, चेहरे की पहचान प्रणाली जो नस्लीय पूर्वाग्रह को दर्शाती है और गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों के लिए कम सटीक हैं। मगर इन प्रणालियों में तकनीकी सुधार हमारे मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए उत्पन्न खतरे को समाप्त नहीं करेंगे।

अधिक विविध प्रशिक्षण डेटा जोड़ने या सटीकता में सुधार के लिए अन्य उपाय करने से इन प्रणालियों के साथ कुछ मौजूदा मुद्दों का समाधान हो सकता है, पर यह अंततः उन्हें केवल निगरानी के साधन के रूप में परिपूर्ण करेगा और हमारे अधिकारों को कम करने में उन्हें अधिक प्रभावी बना देगा।

ये तकनीकें दो प्रमुख तरीकों से हमारे अधिकारों के लिए खतरा हैं:

सबसे पहले, प्रशिक्षण डेटा - चेहरों के डेटाबेस जिनसे नए डाले गए डेटा की तुलना की जाती है, और इन प्रणालियों द्वारा संसाधित बायोमेट्रिक डेटा - आमतौर पर [लोगों के ज्ञान, सहमति या वास्तव में शामिल किए जाने के स्वतंत्र विकल्प के बिना प्राप्त किए जाते हैं](#), जिसका अर्थ है कि ये तकनीकें बड़े पैमाने पर और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को रूप-रेखानुसार बढ़ावा देती हैं।

दूसरा, जब तक सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में लोगों की तत्काल पहचान की जा सकती है, उन्हें पृथक किया जा सकता है, या पीछा किया जा सकता है, उनके मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता कमजोर ही रहेंगे। यहां तक कि यह विचार भी कि ऐसी तकनीकें सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में काम कर सकती हैं, एक दृश्यात्मक प्रभाव पैदा करता है जो लोगों की अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता को कमजोर करता है।

संदिग्ध दावों के बावजूद कि ये तकनीकें सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करती हैं, हमारे अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन किसी भी लाभ से हमेशा भारी ही होगा। हम इस बात के बढ़ते प्रमाण देख रहे हैं कि कैसे इन तकनीकों का [दुरुपयोग](#) किया जाता है और इन्हें बहुत ही कम या बिना किसी पारदर्शिता के अभिनियोजित किया जाता है।

ऐतिहासिक रूप से पुलिस व्यवस्था कैसे की जाती है, इसका कोई भी सर्वेक्षण और विश्लेषण दर्शाता है कि निगरानी तकनीकों का प्रायोगिक उपयोग अक्सर कम आय वाले और पार्श्विक समुदायों को अपराधी बनाता है, जिसमें रंग के समुदाय भी शामिल हैं, वही समुदाय जिन्होंने पारंपरिक रूप से संरचनात्मक नस्लवाद और भेदभाव का सामना किया है। [चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों का उपयोग इसका अपवाद नहीं है](#), और इस कारण से इसे और भी अधिक खतरनाक निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण या स्थायी बनाने से पहले इसे रोका जाना चाहिए।

इन उपकरणों का अस्तित्व, चाहे कानून प्रवर्तन या निजी कंपनियों (या सार्वजनिक-निजी भागीदारी में) के हाथों में हो, हमेशा धीरे धीरे इन तकनीकों के प्रयोग का दायरा बढ़ाता जायेगा और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन पैदा करेगा, जो मुक्त अभिव्यक्ति पर एक द्रुतशीतन प्रभाव डालेगा। क्योंकि उनका अस्तित्व ही हमारे अधिकारों को कमजोर करता है, और इन तकनीकों की प्रभावी निगरानी इस तरह से संभव नहीं है कि दुरुपयोग को समाप्त कर दिया जाए, सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में उनके उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

प्रतिबंध कैसा दिखेगा?

कुछ निगरानी तकनीकें हैं जो इतनी खतरनाक हैं कि वे निश्चित रूप से समस्याएं हल करने की तुलना में कहीं अधिक समस्याएं पैदा करती हैं। जब चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक तकनीकों की बात आती है जो बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम बनाती हैं, तो दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक है, और परिणाम बहुत गंभीर हैं।

इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है: मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की मांग है राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय, नगरपालिका, स्थानीय और अन्य सरकारों द्वारा इन तकनीकों के सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसमें इन सरकारों के सभी उपखंड और प्राधिकरण शामिल हैं -

और विशेष रूप से उनकी कानून प्रवर्तन और सीमा नियंत्रण एजेंसियां, जिनके पास पहले से ही इन तकनीकों के बिना सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानव और तकनीकी संसाधन हैं।

नागरिक समाज संगठनों के वैश्विक नेटवर्क के रूप में, हम मानते हैं कि प्रत्येक देश के पास ऐसे समाधान विकसित करने के अलग-अलग तरीके हैं जो उनकी अनूठी संवैधानिक, पारंपरिक या कानूनी प्रणालियों के तहत मानवाधिकारों को प्राथमिकता दे सकें।

हालांकि, जो भी साधन हो, परिणाम इन तकनीकों के उपयोग पर एकमुश्त प्रतिबंध होना चाहिए जो लोगों की निगरानी, पहचान, चिह्नीकरण, वर्गीकरण और उनका पीछा करें।

इन सभी कारणों से, हम आग्रह करते हैं कि:

1. दुनिया भर की सरकारों में सभी स्तरों पर नीति निर्माता और क़ानून निर्माता:
  - a. चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक तकनीकों में सभी सार्वजनिक निवेश को रोकें जो बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम बनाता है;
  - b. व्यापक कानूनों, विधियों और/या विनियमों को अपनाएं जो:
    - i. राष्ट्रीय, संघीय, राज्यीय, प्रांतीय, नगरपालिका, स्थानीय, और/या अन्य राजनीतिक उपखंड सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों, विभागों, सचिवालय, मंत्रालय, कार्यकारी कार्यालय, बोर्ड, आयोग, ब्यूरो, या उनके ठेकेदार, और/या अन्य उपखंडों और प्राधिकरणों सहित, उनकी ओर से सार्वजनिक परिवहन सहित सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों की निगरानी के लिए इन तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करें, जिसमें विशेष जोर किसी भी प्रकार के कानून प्रवर्तन, आपराधिक जांच, सीमा नियंत्रण और खुफिया एजेंसियों पर दिया जाता है;
    - ii. सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों और सार्वजनिक आवास के स्थानों में निजी संस्थाओं द्वारा इन तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करें, जहां इस तरह के उपयोग से बड़े पैमाने पर निगरानी या भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी सक्षम हो सकती है, जिसमें पार्क, स्कूल, पुस्तकालय, कार्यस्थल, परिवहन केंद्र, खेल

स्टेडियम और आवास विकास आदि स्थल शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं;

- iii. सरकारी एजेंसियों, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संपरीक्षा या अनुपालन जांच के उद्देश्यों को छोड़कर, निजी कंपनियों और अन्य निजी कर्ताओं द्वारा इन तकनीकों के उपयोग से प्राप्त डेटा और जानकारी का उपयोग करने और उन तक पहुंचने से रोके;
  - iv. आवास, रोजगार, सामाजिक लाभ और स्वास्थ्य सेवा सहित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए इन तकनीकों के उपयोग के विरुद्ध व्यक्तियों की रक्षा करे;
  - v. इन तकनीकों का उपयोग और उनसे प्राप्त जानकारी को आपराधिक रूप से मुकदमा चलाने या लोगों पर आरोप लगा कर उन्हें कारावास भेजने या उन्हें अन्यथा हिरासत में लेने के सबूत के रूप में वर्जित करें; तथा
  - vi. निजी कंपनियों द्वारा संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी तक सरकारी पहुंच को प्रतिबंधित करे;
- c. सरकारों और राज्यीय एजेंसियों द्वारा इन तकनीकों की खरीद को प्रतिबंधित करने वाले नियम और विनियम स्थापित करें;
  - d. बड़े पैमाने पर निगरानी या धार्मिक, जातीय, और नस्लीय अल्पसंख्यकों और राजनीतिक असंतुष्टों और अन्य पार्श्विक समूहों की भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी के लिए चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करना बंद करें;
  - e. उन व्यक्तियों के लिए इन तकनीकों के उपयोग के प्रकटीकरण को अनिवार्य करें जो बिना जानकारी के उनके अधीन थे और जिन्हें तकनीकों के उपयोग का विरोध करने के लिए अपने उचित प्रक्रिया अधिकारों का प्रयोग करने का मौका नहीं दिया गया था; तथा
  - f. इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हुए व्यक्तियों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

2. न्यायालय और न्यायिक अधिकारी इन तकनीकों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले मानवाधिकारों के अस्तित्व के खतरों को स्वीकार करें और इन्हें रोकने के लिए कार्य करें और यदि आवश्यक हो, तो उनके उपयोग से होने वाले नुकसान की भरपाई करें; तथा
3. प्रशासनिक एजेंसियां, डेटा संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों सहित, गोपनीयता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए अपने पूर्ण अधिकारों का उपयोग करें, कंपनियों से इन तकनीकों के उपयोग को रोकने का आग्रह करते हुए।

अंत में, हम मानते हैं कि चेहरे की पहचान वाली तकनीकों से उत्पन्न अस्तित्व संबंधी खतरे से न केवल देशों और सभी प्रकार की सरकारों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण कर्ताओं को भी निपटना चाहिए।

इस कारण, हम आह्वान करते हैं कि:

1. अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), दुनिया भर में समुदायों की निगरानी करने के लिए चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों के वर्तमान विकास और उपयोग की निंदा करें
2. चेहरे की पहचान तकनीक का विकास या उपयोग करने वाली निजी संस्थाएं:
  - a. बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम करने वाली चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों के निर्माण, विकास, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध हों;
  - b. बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम करने वाली चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों के उत्पादन को तुरंत बंद कर दें, और डेटाबेस और ऐसे डेटा पर निर्मित किसी भी मॉडल या उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किए गए किसी भी अवैध रूप से प्राप्त बायोमेट्रिक डेटा को मिटा दें;
  - c. पारदर्शिता रिपोर्ट जारी करें जो इन प्रौद्योगिकियों के प्रावधान के लिए उनके सभी सार्वजनिक अनुबंधों (निलंबित, चल रहे, या बनने वाले सहित) का विवरण दें; तथा



- d. बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम करने वाली चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों के विकास को चुनौती देने या अस्वीकार करने के लिए अपने कार्यस्थलों में संगठित होने वाले श्रमिकों के खिलाफ सार्थक रूप से भागीदारी करें और प्रतिशोध से बचें;
3. प्रौद्योगिकी कंपनियों के श्रमिक, अपनी यूनियनों के समर्थन से, अपने कार्यस्थलों में चेहरे की पहचान और दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों के विकास या बिक्री के खिलाफ यथासंभव संगठित हों;
4. निवेशक और वित्तीय संस्थान:
  - a. चेहरे की पहचान और अन्य बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों को विकसित करने और बेचने वाली कंपनियों में उनके चल रहे और भविष्य के निवेश पर मानवाधिकार यथोचित अन्वेषण करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहाँ ये तकनीकें मानवाधिकारों के साथ मेल नहीं खातीं और बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम करती हैं; तथा,
  - b. अपनी निवेशी कंपनियों से आह्वान करें कि वे बड़े पैमाने पर निगरानी और भेदभावपूर्ण लक्षित निगरानी को सक्षम करने वाली तकनीकों को बनाना, विकसित करना, बेचना या अन्यथा उपलब्ध कराना बंद करें;
5. दाता संगठन, गैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों द्वारा मुकदमेबाजी और वकालत के लिए धन सुनिश्चित करें, जो अदालतों के समक्ष नुकसान की भरपाई की मांग करते हैं और स्थानीय, राज्य, प्रांतीय, राष्ट्रीय, संघीय, अंतर्देशीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में नीति निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

## निष्कर्ष

हम दुनिया भर के नागरिक समाज, सक्रियतावादी कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों से इस पत्र पर हस्ताक्षर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं जिससे कि सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में इन तकनीकों के उपयोग पर अभी और हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि हमारे मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।



07 06 2021

आप कैसे साइन इन कर सकते हैं और इस पहल का समर्थन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए [banBS@accessnow.org](mailto:banBS@accessnow.org) पर संपर्क करें।

[accessnow.org/ban-biometric-surveillance](https://accessnow.org/ban-biometric-surveillance)